फर्द अहकाम

सुनीशा देवी बनाम प्रमिला देवी व अन्य

न्यायालय ACEM फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

संख्या 37/16

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक 08/02/17 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा काम बन्दी/हड़ताल/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/02/17 को पेश हों। पत्रावली लोक अदालत शिविर में पेश हो।	
~~11/2/17~~	~~पत्रावली पेश हुई। लोक अदालत शिविर~~	
11/2/17	पत्रावली आज दिनांक को लोक अदालत शिविर में पेश हुई। प्रतिवादीगण पक्षकार के उपस्थित नहीं होने से अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-2-17 को न्यायालय में पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर	
22/2/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० तहसीलदार आमेर से कुर्जात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण सं. 02 लगायत 09 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में ही दिनांक 26.09... [illegible] तहसील स्तर पर जारी ... दि० 16-01-17 ... उपस्थित नहीं हुये वकील वादी को कुर्जात रिपोर्ट पर सुना गया। वकील	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.29 13:51:36 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

सुनीता कु.नी. बनाम प्रभाती देवी व अन्य

नाम न्यायालय A.C.E.M. फास्टट्रेक आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 37/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	22/02/17	वादी ने कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की है। अत: तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.29 13:01:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(5)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)आमेर मु. जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस)**

वाद सं 37/2016 निर्णय दिनांकः 03.10.16

1. सुनीश कोलामपरमबिल्ल चन्द्रन पुत्र चन्द्र शेखर
   जाति ब्राहामण निवासी मकान नम्बर डी–10/112,चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, तहसील व जिला जयंपुर (राज)

....वादी

बनाम

1. मु. प्रभाती देवी बेवा शिवसहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम चक मनोहरपुरा तहसील आमेर,जिला जयपुर (राज)
2. पार्वती देवी ध. पत्नि ज्वाला प्रसाद
3. आशा देवी पुत्री ज्वाला प्रसाद
4. बीना पुत्री ज्वाला प्रसाद
5. सुमन पुत्री ज्वाला प्रसाद
6. श्याम सुन्दर पुत्र शिवसहाय
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवसहाय
8. अरूण कुमार पुत्र शिवसहाय
   समस्त 02 लगायत 08 जाति पुरोहित, निवासी चक मनोहरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)
9. मैसर्स गणेश कृपा लैण्ड डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डाईरेक्टर अशोक कुमार पाबूलाल पुत्र हंसराज पाबूलाल निवासी प्लाट नं 334 नेमीसागर कालोनी, वैशाली नगर, तहसील व जिला जयपुर (राज)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 03.10.2016

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है। जिसके अनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम चक मनोहरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आराजी ख़.न. 468 का कब्जेकाश्त को दृष्टिगत रखते हुए बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा करते हुए कुरेजात प्रस्तांव इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.10.2016 को जारी किया।

दस्तखत–

ओहदा–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.29 13:01:36 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपये	पैसे	मुददाय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील					
खर्चा गवाहन					
फीस कमिश्नर					
बबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरित	4 रूपये			रूपये	
मीजान					

Scanned by CamScanner

(6)

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजि0 (फास्ट ट्रैक) आमेर मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुंतल बिश्नोई (आर.ए.एस)

निर्णय दिनांकः 22.02.2017

वाद संख्या 37/2016

1. सुनीश कोलामपरमबिल्ल चन्दन पुत्र चन्द्रशेखर जाति ब्राहामण निवासी मकान नम्बर डी–10/112, चित्रकूट योजना, अजमेर रोड,तहसील व जिला जयपुर (राज) ....वादी

बनाम

1. मु. प्रभाती देवी बेवा शिवसहाय, जाति अहीर,(नाम हजफ)
2. पार्वती देवी धर्मपत्नि ज्वालाप्रसाद
3. आशा देवी पुत्री ज्वालाप्रसाद
4. बीना पुत्री ज्वालाप्रसाद
5. सुमन पुत्री ज्वालाप्रसाद
6. श्याम सुन्दर पुत्र शिवसहाय
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवसहाय
8. अरूण कुमार पुत्र शिवसहाय

} समस्त 02 लगायत 08 जाति पुरोहित

समस्त निवासी चक मनोहरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)

9. मैसर्स गणेश कृपा लैण्ड डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार पाबूलाल पुत्र हंसराज पाबूलाल निवासी प्लाट नं 334 नेमीसागर कालोनी, वैशाली नगर, तहसील व जिला जयपुर (राज)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर (राज)

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

वादी ने कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत सूचना जरिये न्यायालय हाजा व तहसीलदार आमेर के उपरान्त भी उपस्थित नही हुये, ना ही किसी प्रकार की कोई आपति प्रस्तुत की गई। अतः तहसीलदार आमेर से ग्राम चक मनोहरपुरा तह0 आमेर स्थित विवादित भूमि आ. ख. न. 468 रकबा 0.64 है के संदर्भ में प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वादी ... निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.29 13:01:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

Scanned by CamScanner

(8)

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

राजस्व वाद संख्या: 37/2016 निर्णय दिनांक: 22.02.2017

1. सुनीश कोलागपरमबिल्ल चन्दन पुत्र चन्द्रशेखर जाति ब्राहमण
   निवासी मकान नम्बर डी-10/112, चित्रकूट योजना, अजमेर रोड,तहसील व जिला जयपुर (राज)

....वादी

बनाम

1. मु. प्रभाती देवी बेवा शिवसहाय, जाति अहीर,(नाम हजफ)
2. पार्वती देवी धर्मपत्नि ज्वालाप्रसाद
3. आशा देवी पुत्री ज्वालाप्रसाद
4. बीना पुत्री ज्वालाप्रसाद
5. सुमन पुत्री ज्वालाप्रसाद
6. श्याम सुन्दर पुत्र शिवसहाय
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवसहाय
8. अरूण कुमार पुत्र शिवसहाय

(समस्त 02 लगायत 08 जाति पुरोहित)

समस्त निवासी चक मनोहरपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)

9. मैसर्स गणेश कृपा लैण्ड डवलपर्स प्रा॰ लि॰ जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार पाबूलाल पुत्र हंसराज पाबूलाल निवासी प्लाट नं 334 नेमीसागर कालोनी, वैशाली नगर, तहसील व जिला जयपुर (राज)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर (राज)

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित– अधिवक्ता वादी श्री प्रभूसिंह राजावत,श्री भुवनेश नागर (एडवोकेट)

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित राजस्व ग्राम चक मनोहरपुरा की भूमि आ.ख.न. 468 रकबा 0.64 है0 वाद अधीन विवादित आराजी है जो कि वादी व प्रतिवादीगण स. 01 लगायत 09 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिक विभाजन नही हुआ है। उक्त भूमि के मूल खातेदारान भूमि का बाहमी बंटवारा कर बाहमी बंटवारे अनुसार अलग-अलग काबिज काश्त थे। भूमि का राजस्व अभिलेखों में विधिक विभाजन नही हुआ। वादी ने उक्त भूमि के गत खातेदार मैसर्स प्रिज्म बिल्डकॉन प्रा. लि. से उपरोक्त आराजी का कय किया है तथा मै. प्रिज्म बिल्डकॉन प्रा. लि. ने भूमि के मूल खातेदार मंगलाराम पुत्र शंकरलाल अहीर से उसका अभिलिखित हिस्सा कय कर मूल खातेदारों के बाहमी बंटवारे के मुताबिक विवादित आराजी के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया था। जिसे वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शें में पीले रंग से दर्शाया जाकर 468/1 के रूप में तथा शेष खातेदारान के हिस्से (उतरी भाग) को लाल रंग से 468 के रूप में अंकित किया गया है। नजरी नक्शे के मुताबिक विवादित आराजी के अभिलिखित 1/2 भाग पर कय के दिन वास्तविक व भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिसपर वादी ने काफी धनराशि खर्च कर अपने कब्जेशुदा विशिष्ट भूभाग को लेवलिंग आदि करवाकर साधिकार काबिज काश्त है। वादी को हक व अधिकार है कि वह विवादित आराजी में अपने अभिलिखित हिस्से (1/2 भाग) का बाहमी बंटवारे व वास्तविक काश्त के मुताबिक बाई मीटस एंड बाउन्डस विधिक विभाजन करवाए तथा राजस्व नक्शा, लगान व खाता अलग कायम कराए तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए कि वे वादी को विवादित आराजी के विशिष्ट भू-भाग से बेदखल नहीं करें तथा वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अतः वाद वादी जिरह प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम चक मनोहरपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.न. 468 रकबा 0.64 है0 का विधिक विभाजन वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शे के मुताबिक वास्तविक कब्जेकाश्त जो ख.न. 468 का दक्षिणी हिस्सा है तथा 468/1 के रूप में पीले रंग से अंकित है, वादी को दिया जाकर विधिक विभाजन में अन्तर्गत राजस्व नक्शा, लगान व खाता अलग कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उक्त विवादित आराजी के विशिष्ट भू-भाग से बेदखल नही करें ना ही वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Lagha
Date: 2021.01.29 13:01:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र के जवाब हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण सं. 02 लं0 09 के बावजूद विधिवत नोटिस सूचना उपस्थित नही होने पर उक्त प्रतिवादी सं. 02 लं0 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी सं0 1 के संदर्भ में तामिल रिपोर्ट पर फोतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त प्रतिवादी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के क्रम में प्रा0 पत्र प्राप्त कर मृतक के वारिसान के पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने से मृतक प्रतिवादी का नाम हजफ किया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार आमेर को वाद अधीन भूमि के संदर्भ में नियमानुसार कुरेजात प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव के विधिनुसार प्रतीत नही होने पर तहसीलदार आमेर को पुनः विधिवत व नियमानुसार कुरेजात प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव के विधिवत व नियमानुसार उचित स्पष्ट होने व विधिवत सूचना के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने तथा कोई आपति प्रस्तुत नही होने से वादी को कुरेजात प्रस्ताव पर सुना गया। वादी द्वारा कुरेजात प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार आमेर द्वारा विवादित भूमि आ.ख.न. 468 ग्राम चक मनोहरपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित के संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है जो निम्नानुसार है–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टी						प्रस्तावित प्रविष्टी				
नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान	कं सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान
मु 0 प्रभाती देवी बेवा शिवसहाय, जाति अहीर ,(मृतक दौराने वाद)पार्वती देवी ध0 प0 ज्वालाप्रसाद,आशा देवी,बीना,सुमन पुत्रियां ज्वालाप्रसाद जाति पुरोहित हि0 1/16, श्यामसुन्दर, सुरेन्द्र कुमार ,अरूण कुमार पि0 शिवसहाय जाति पुरोहित हि0 ब0 हि0 3/16, मै0 गणेश कृपा लैण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार पाबूवाल पि0 हन्सराज पाबूवाल निवासी प्लाट नं0 334 नेमीसागर कालोनी वैशाली नगर जयपुर हि0 1/4, सुनीश कोलामपरम बिल्ल चन्द्रन पुत्र चन्द्रशेखर जाति ब्राहामण निवासी म0 न0 डी 10/112 चित्रकूट योजना अजमेर रोड जयपुर हि0 1/2,	468	0.64	बारानी 1	5.12	1.	मु 0 प्रभाती देवी बेवा शिवसहाय, जाति अहीर ,(मृतक दौराने वाद) पार्वती देवी ध0 प0 ज्वालाप्रसाद,आशा देवी,बीना,सुमन पुत्रियां ज्वालाप्रसाद जाति पुरोहित हि0 1/8, श्यामसुन्दर, सुरेन्द्र कुमार ,अरूण कुमार पि0 शिवसहाय जाति पुरोहित हि0 ब0 हि0 3/8, मै0 गणेश कृपा लैण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार पाबूवाल पि0 हन्सराज पाबूवाल निवासी प्लाट नं0 334 नेमीसागर कालोनी वैशाली नगर जयपुर हि0 1/2,खातेदार	468	032	बारानी 1	2.56
						योग खाता	1	032	बारानी 1	2.56
					2.	सुनीश कोलामपरम बिल्ल चन्द्रन पुत्र चन्द्रशेखर जाति ब्राहामण निवासी म0 न0 डी 10/112 चित्रकूट योजना अजमेर रोड [illegible]	468/1	032	बारानी 1	2.56
						योग [illegible]	468/1	032	बारानी 1	2.56
योग खाता	468	0.64	बारानी 1	5.12						

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.29 13:01:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर, जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि0 (फास्ट ट्रेक)
आमेर मु0 जयपुर

Scanned by CamScanner